न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 673 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/01074
अनवान :-

1. जयप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गंगोई (पाण्डुसर) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम

1. लिछमण पुत्र दत्तक पुत्र मालुराम (बीरबल) जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भानीराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. सुभाष सहारण पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
4. रामकुमार पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
5. विनोद पुत्र रामकुमार जरिये माता लिलावती पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सुमन पुत्र रामकुमार जरिये माता लिलावती पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
7. राजो देवी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
8. किस्तुरी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
9. ननकौरी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
10. सरोज पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा गंगोई खाता संख्या 77/68 की कुल 22.5370हैक व रोही मौजा जोखासरके खाता संख्या 171/167 की कुल 5.1090हैक व जोखासर के खाता संख्या 172/168 की कुल 5.0590हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बरावर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिद के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके वाहमी वटवारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गंगोई खाता संख्या 77/68 की कुल 22.5370हैक व रोही मौजा जोखासरके खाता संख्या 171/167 की कुल 5.1090हैक व जोखासर के खाता संख्या 172/168 की कुल 5.0590हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने वाहमी वटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 104 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गंगाई खाता संख्या 77/68 की कुल 22.6370हैक्ट व रोही मौजा जोखासरके खाता संख्या 171/167 की कुल 5.1090हैक्ट व जोखासर के खाता संख्या 172/168 की कुल 5.0590हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

सम्वत 2012 की जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल , जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि कोतिया वल्द बस्ती के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कोतिया वल्द बस्ती के नाम से दर्ज है वादी के दादा कोतिया वल्द बस्ती के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बंटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का एजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 77/68 की कुल 22.6370हैक्ट में से 9.7690हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब तथा 7.326हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 एवं 2.442हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष 3 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 171/167 के खसरा न0 18/1 की 5.1090हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 2.5545हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं 1.9159हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 0.6386हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 172/168 की कुल 5.0590हैक्ट में से 1/4 हिस्सा यानी 1.265हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.6326हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब तथा 0.4743हैक्ट का प्रतिवादी संख्या 4 एवं 0.1581हैक्ट का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (विकसित)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 जयप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गंगोई (पाण्डुसर) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लिछमण पुत्र दत्तक पुत्र मालुराम (बीरवल) जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भानीराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. सुभाष सहारण पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
4. रामकुमार पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
5. विनोद पुत्र रामकुमार जरिये माता लिलावती पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सुमन पुत्र रामकुमार जरिये माता लिलावती पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
7. राजो देवी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
8. किस्तुरी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
9. ननकौरी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
10. सरोज पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 673 सन 2020 निर्णय दिनांक– 27/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 77/68 की कुल 22.5370हैक में से 9.7690हैक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब तथा 7.326हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 एवं 2.442हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष 3 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 171/167 के खसरा न0 18/1 की 5.1090हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 2.5545हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं 1.9159हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 0.6386हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 172/168 की कुल 5.0590हैक मे से 1/4 हिस्सा यानी 1.265हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.6326हैक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब तथा 0.4743हैक का प्रतिवादी संख्या 4 एवं 0.1581हैक का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner